

FORM NO III
फर्द अहकाम

20/11/17
8/5/17
20/8/15
8-9-11
7/8/14
269-69-9-14
28/10/14-10

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी

मुकाम

किशनगढ़ (अजमेर)

15/11

भोवर सिंह बनाम श्री मंसिंह व अन्य 5-1-15

7.8.14

17-3-1

किस्म मुकदमा - 88 रा0का0अधि0

नंबर 92 वर्ष 2014

15/8/15


26/01

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
25-6-14	<p>यह वाद पत्र वादी की ओर से वकील श्री <u>हमी चंद जी</u> ने अन्तर्गत धारा 88 रा0का0 अधिनियम के तहत पेश किया। वाद पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जरिये सम्मन की जाकर पत्रावली दिनांक 16-7-14 को पेश हो।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ (अजमेर)</p>	<p>15/11/15</p>
7-8-14	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उप पी ओ. साहब जी/अधिवक्ता पेश करते हैं। अतः 7/8/14 को पेश हो।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ (अजमेर)</p>	

16-7-14

7-8-14

नं. 2016/2008
 अहकाम की तारीख

नं.	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
2016/2008	<p>पत्रावली पेल डी वरीलवादी कतुण / न्यायालय समय में कन-कन कर तीन बार आवाजे लगाई गई किन्तु ना तो वारी उपस्थित हुए ना ही वरीलवादी उपस्थित पत्रावली अहम हाजरी / अहम पेशकी में स्वागीज की जाती है। पत्रावली पेल शुमार होकर नखर ले कम है।</p> <p style="text-align: right;">  उपखण्ड अधिकारी अराई (अजमेर) </p>	